संख्या: 08 /2021/77/46-1-21-1000(16)/2019

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2021**

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-23 (गन्ना) के अन्तर्गत वचनबद्ध व्ययों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक: 1082/लेखा-बजट/2020-21, दिनांक 12 जनवरी, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-23 (राजस्व मद) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त अधिष्ठान, क्षेत्रीय कार्यालय एवं गन्ने की खेती का विकास तथा उसका प्रगाढ़ीकरण से सम्बन्धित वेतन भत्ते एवं अन्य वचनबद्ध व्ययों को वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशि रू.21812.54 लाख मतदेय तथा रू. 2.00 लाख भारित अर्थात कुल धनराशि रू.21814.54 लाख (रूपये दो अरब अट्ठारह करोड़ चौदह लाख चौवन हजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या: 16/2020/561/46-1-20-1000(16)/2019टी.सी. दिनांक 15.04.2020 एवं शानादेश संख्या: 27/2020/972/46-1-20-1000(16)2019टी.सी., दिनांक 13 अगस्त, 2020 द्वारा निर्गत धनराशि के फलस्वरूप अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि **रू.33.125 लाख (रूपये तैंतीस लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र)** इस शासनादेश के संलग्नक में यथा उल्लिखित विभिन्न मानक मदों के लिए अंकित धनराशि के विवरण के अनुसार, व्यय किये जाने की अनुमति सहित, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं शासनादेश संख्या: 6/2020/बी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4. आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या: बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. स्वीकृत धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। यथासमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

6. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा एकमुश्त धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा तथा आहरण की गयी धनराशि पी.एल.ए./बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

7. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जाये।

9. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-23 (राजस्व मद) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2401-फसल कृषि कर्म" के अन्तर्गत, **संलग्नक में अंकित**, संगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:1/2020 /बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं शासनादेश संख्या: 6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

बच्चू लाल

संयुक्त सचिव।

संख्या: 08/2021/77(1)/46-1-2021, तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।
8. चीनी उद्योग अनुभाग-2/3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

बच्चू लाल

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या: 08/2021/77/46-1-2021, दिनांक 16 फरवरी, 2021 का संलग्नक

क्रमांक	लेखा शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न मानक मद	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 13.08.2020 स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
	2401-फसल कृषि कर्म 001-निदेशन तथा प्रशासन **03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान**			
1	42-अन्य व्यय (मतदेय)	2.50	1.875	0.625
2	49-चिकित्सा व्यय	15.00	11.250	3.75
	योग: 001/03	**17.50**	**13.125**	**4.375**
	04-क्षेत्रीय कार्यालय			
1	17-किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व	8.00	6.000	2.00
2	49-चिकित्सा व्यय	2.50	1.875	0.625
	योग: 001/04	**10.50**	**7.875**	**2.625**
	108-वाणिज्यिक फसलें **04-गन्ने की खेती के विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण की योजना**			
1	04-यात्रा व्यय	22.24	16.68	5.56
2	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	7.26	5.445	1.815
3	17-किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व	30.00	22.500	7.50
4	49-चिकित्सा व्यय	45.00	33.750	11.25
	योग: 108/04	**104.50**	**78.375**	**26.125**
	योग: 2401-	**132.50**	**99.375**	**33.125**

(रूपया तैंतीस लाख बारह हजार पांच सौ मात्र)

बच्चू लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है